पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)
(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः–प. 1(03)परीक्षा/प्रायोगिक/2015–16/ 5167 दिनांक 05.07.2016

कार्यालय–आदेश

ऐसे महाविद्यालय जो सम्बद्धता रहित विषयों में अपने विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थियों के रूप में सैद्धांतिक परीक्षा, 2016 दिला चुके हैं, उनकी प्रायोगिक परीक्षा 2016 के संबंध में इस विश्वविद्यालय की दिनांक 02.07.2016 की निरीक्षण मण्डल बैठक के बिन्दु संख्या 02 (i व ii) की अनुशंषा एवं सक्षम स्तर से अनुमति पश्चात निम्नानुसार निर्णय किया गया है–

1. वे विषय जिनमें विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार स्वयंपाठी घोषित कर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है तथा ऐसे विद्यार्थियों को विद्यार्थी हित में स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में प्रायोगिक परीक्षा दिलवाई जायेगी तथा संबंधित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के नियमों/अध्यादेशों का उल्लंघन करने के कारण रू. 01 लाख प्रति विषय या रू. 10000 प्रति विषय प्रति विद्यार्थी के अनुसार जो भी अधिक हो, विश्वविद्यालय में शास्ति शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे एवं संबंधित विद्यार्थी को स्वयंपाठी बनाये जाने के फलस्वरूप difference fees विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर ही प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाई जा सकेगी।
2. वे विषय (D&P, Physical Edu., M.Sc. Chemistry) जिनमें विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार स्वयंपाठी के रूप में प्रायोगिक परीक्षा नहीं दिलवाई जा सकती, ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त की जाती है एवं संबंधित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश/सम्बद्धता नियमों के उल्लंघन के कारण रू. 01 लाख प्रति विषय या 10,000 रू. प्रति विषय प्रति विद्यार्थी के अनुसार, जो भी ज्यादा हो, विश्वविद्यालय में शास्ति शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे।

उक्त महाविद्यालय दिनांक 09.07.2016 तक निर्धारित शास्ति विश्वविद्यालय में जमा करवा दें अन्यथा महाविद्यालय के सम्बद्धता निरस्त की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

5/7/16
कुलसचिव